

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 02.10.2020

### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सिपाही लाल पुत्र माधव पासवान नि० इमलिहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 302 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

#### 02. थाना को०देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती उषा सोनकर पत्नी सोनू सोनकर नि० खमरिया हरवंश थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 415 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

#### 03. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुन्ना लाल उर्फ लल्लू पुत्र टहलू नि० ग्रा० लालासोनी सोनीपुर मौजा सोनीहरलाल थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 759 / 20, 02. राधेश्याम सोनकर पुत्र अयोध्या नि० सोनीकपूर थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 760 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

### थाना खरगपुर पुलिस ने जुआ खेलते 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

गोण्डा । शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना खरगपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों- 01. अजीत कुमार पुत्र स्व० जगन्नाथ प्रसाद नि० पुरानी बाजार, 02. दुर्गा वर्मा पुत्र धर्मराज वर्मा, 03. समीर पुत्र जमील अहमद नि०गण पूरे हरवाहनपुरवा थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय गिरफ्तार कर लिया गया ।

थानाध्यक्ष खरगपुर ने बताया की दिनांक 01.10.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति खरगपुर क्षेत्र पूरे हरवाहनपुरवा में जुआ खेल रहे हैं, मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर

पुलिस बल द्वारा दबिश देकर मौके से उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड़ से रु0 320/- बरामद कर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खरगूपुर में 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

## **लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा । शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त दिनेश कुमार यादव पुत्र मायाराम नि0 रानीपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 192 / 20, धारा 363.366 भादवि0, 7 / 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)बी. 3(2)Vबी एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था । जिसके संबंध में लड़की के पिता द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें खरगूपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

## **छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा । शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त सतीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गुड्डू पुत्र महादेव पाण्डेय नि0 मिलकिनिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 414 / 20, धारा 354.323.504 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था तथा विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारा- पीटा था , जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की बहन द्वारा थाना नवाबगंज में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

## **170 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, शराब बनाने के उपकरण बरामद -**

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. सुरेश पुत्र रामजश नि0 दुल्लापुर मल्लाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

02. रामचन्द्र यादव पुत्र स्व० मुन्ना यादव नि० उमरिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 418 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

02. मु०अ०सं०- 419 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

### बरामदगी-

01. 170 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों व अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था ।

दिनांक 01.10.2020 को थाना नवाबगंज पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में दबिश देकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 170 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

## अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजकुमार उर्फ मुन्ना ओझा पुत्र शिव कुमार ओझा नि० चन्दापुर ओझापुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 296 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

### बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2020 को थाना वजीरगंज के उ०नि० भगवान यादव मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को चन्दापुर गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 भगवान यादव ।
02. का0 अजय शुक्ला ।
03. का0 दया यादव ।